पृष्ठांकन हेतु स्थान
SPACE FOR ENDORSEMENT

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

टिप्पणी : यदि आपको कोई शिकायत/परेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता नीचे दिया जा रहा है:
Note: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Insurance Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता Address of Branch Office	शिकायत निराकरण अधिकारी का पता Address of Grievance Redressal officer	बीमा लोकपाल का पता Address of Insurance Ombudsman

टिप्पणी : इन निबंधनों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेज़ी भाषा विधिमान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई गलती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें.
You are requested to examine this policy, and if any mistake be found therein, return it immediately for correction.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या: 512
IRDAI Regn. No.: 512

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम का न्यू मनी बैक प्लान – 25 वर्ष (लाभ सहित)
LIC's NEW MONEY BACK PLAN – 25 YEARS (WITH PROFITS)

25 वर्ष
LIC/ 512/2021/01
Plan No. 508

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद निगम कहा जायेगा) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त प्रस्तावक और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची में निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ का बिना ब्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ वह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को वह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हें उक्त अनुसूची के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभों के सम्बन्ध में निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनुसूची में निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक़ कर, जो भुगतान का दावा कर रहा हो/रहे हों, की प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे में देय होगा, यदि यह पहले नहीं दिया गया हो.
और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों और सुविधाओं के अधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे.

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the benefits as set out in the Schedule, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the benefits having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.
And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE | **अनुसूची / SCHEDULE** | **शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE**

पॉलिसी संख्या/ Policy No. :	मूल बीमा धन (₹)/ Basic Sum Assured (₹) :	मूल योजना के लिये प्रीमियम किस्त (₹)/ Instalment Premium for Basic Plan (₹) :	प्रीमियम देय तिथि : Due date of premium :
पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि/ Date of Commencement of policy :			प्रीमियम भुगतान की विधि : Mode of payment of premium :
जोखिम की तिथि/ Date of Commencement of Risk :	दुर्घटना हितलाभ बीमा धन (₹)/ Accident Benefit Sum Assured (₹) :	एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ राइडर किस्त प्रीमियम (₹)/ LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider Instalment premium (₹) :	अंतिम प्रीमियम की देय तिथि : Due Date of Payment of Last premium for : i) मूल योजना : i) Basic Plan : ii) एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ राइडर : ii) LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider :
तालिका एवं अवधि/ Plan & Term :			बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि : Date of birth of the Life Assured :
प्रीमियम भुगतान अवधि/ Premium Paying Term :		कुल प्रीमियम किस्त (₹) / Total Instalment premium (₹) :	बीमित व्यक्ति की आयु : Age of the Life Assured:
पूर्णावधि की तिथि/ Date of Maturity :			क्या आयु स्वीकृत है? Whether age Admitted?

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित / Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938 :	प्रस्ताव संख्या : Proposal No. :
अगर नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम / If nominee is minor, name of the Appointee :	प्रस्ताव की तिथि : Date of the Proposal : लाभ चित्रण संदर्भ क्र. : Benefit Illustration Reference No. :

प्रस्तावक का नाम और पता / Name and Address of the Proposer :	बीमित व्यक्ति का नाम और पता / Name & Address of the Life Assured :

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं : विवरण अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं. / **Events on the happening of which benefits are payable:** Details are mentioned overleaf.

बीमा धन किसको मिलेगा/ To whom Sum Assured Payable	प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उसके समनुदेशिति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उसके नामितियों या उन प्रमाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जिन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा. The proposer or Life Assured or his assignee under Section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.
प्रीमियम चुकाने की अवधि/ Period during which premium payable	निर्धारित अंतिम किस्त भुगतान की तिथि तक या इससे पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर. Till the stipulated due date of the payment of last premium or earlier death of the Life Assured.
प्रीमियम भुगतान करने की तिथि/ Dates when premium payable	में पूर्व निर्धारित अंतिम तारीख/ On the stipulated due date in .....

विशेष प्रावधान : विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है/**Special Provisions:** Details are mentioned overleaf.

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है और जिस पते पर पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी पत्राचार किया जाना चाहिए.
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

तिथि/Date:
जांच कर्ता/Examined by:
प्रपत्र क्र./Form No.

मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक
p. Chief/ Sr. /Branch Manager

एजेंसी कोड/Agency Code	एजेंसी का नाम/Agency Name	एजेंट का मोबाइल/टेलिफोन नम्बर Agent's Mobile Number / Landline Number

ये घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं / Events on the happening of which benefits are payable:	
घटनाएं / Events	देय हितलाभ / Benefits Payments
कथित पॉलिसी परिपक्वता कि तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बशर्ते पॉलिसी अद्यतन प्रीमियम के भुगतान द्वारा पूर्ण रुप से चालू हो. On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by payment of upto-date premiums.	मृत्यु हितलाभ जिसकी परिभाषा ''मृत्यु होने पर बीमित राशि'' है और निहित सामान्य प्रत्यावर्तित बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि हो तो, देय रहेंगे जहाँ ''मृत्यु होने पर बीमित राशि'' की परिभाषा मूल बीमा राशि के 125% या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना, जो भी अधिक हो, है, यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान किये गये कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा. उपरोक्त वर्णित प्रीमियम में कर, अतिरक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, यदि हो तो, शामिल नहीं है. Death benefit, defined as Sum of "Sum Assured on Death" and vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable. Where, "Sum Assured on Death" is defined as higher of 125% of the Basic Sum Assured or 10 times of annualized premium. This death benefit shall not be less than 105% of the total premiums paid as on date of death. The premiums mentioned above exclude tax, extra premium and rider premium, if any.
बीमित व्यक्ति के अनुब्द्ध अवधि तक जीवित रहने पर बशर्ते पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो. On Life Assured surviving to the end of the specified durations provided policy is in full force.	पॉलिसी वर्ष के प्रत्येक 5वें, 10वें, 15वें और 20वें वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि का 15% 15% of the Basic Sum Assured at the end of each of 5th, 10th, 15th & 20th policy year.
बीमित व्यक्ति के परिपक्वता कि तिथि तक जीवित रहने पर बशर्ते अद्यतन प्रीमियमों के भुगतान द्वारा पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो. On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.	मूल बीमा राशि का 40% और निहित सामान्य प्रत्यावर्तित बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि हो तो, देय रहेंगे. 40% of the Basic Sum Assured along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional bonus, if any, shall be payable.

विशेष प्रावधान :

एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर (UIN : 512B209V01): यदि एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर का चयन किया गया है और वह चालू है : ''शर्तें व सुविधाएं'' की शर्त संख्या 11 दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर की राशि के लिए लागू होगी.

यदि एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर का चयन नहीं किया गया है : ''शर्तें व सुविधाएं'' की संख्या 11 लागू नहीं होगी.

Special Provisions:

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN : 512B209V01): If LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider is opted for and the same is inforce: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall apply for an amount equal to the Accident Benefit Sum Assured.

If LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider is not opted for: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall not apply.

इस पॉलिसी मे दी गई शर्तें व सुविधायें

1. **आयु प्रमाण :** प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरम्भ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिये निगम द्वारा उस समय प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा, तथापि प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति ह्रासमें उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किस्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति द्वारा देय ऋण माना जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जायेगा.

   यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शर्तों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या सहतों को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्तेकि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी.

2. **प्रीमियम का भुगतान :** वार्षिक, अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक प्रीमियमो के भुगतान के लिये रियायत अवधि एक माह किंतु कम से कम 30 दिन, मासिक प्रीमियमों के लिये 15 दिन की रियायत अवधि दी जायेगी.

   यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अवधि समाप्त होने से पुर्व नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जायेगी.

   इस अवधि के दौरान और उस वक्त देय प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व ही यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी वैध रहेगी और बीमाधन का भुगतान उक्त प्रीमियम तथा अगली वर्षगांठ के पूर्व देय होने वाले अदत्त प्रीमियम की कटौती के उपरांत किया जायेगा.

   यदि पॉलिसी कालातीत नहीं होती है और पॉलिसी के तहत मृत्यु की दशा में दावा किया गया होगा जहां प्रीमियम भुगतान का तरीका वार्षिक के अलावा होगा, भुगतान न किए गए प्रीमियम, अगर कुछ हो तो, अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पहले आनेवाली, वो दावे की रकम से काट लिया जाएगा.

   देय प्रीमियम ''कुल किस्त प्रीमियम'' होगा जिसमें निम्न शामिल होगा :
   (i) मूल योजना के लिये किस्त प्रीमियम
   (ii) अगर एलआईसी की दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ सुरक्षा विकल्प चुना गया है, तो एलआईसी की दुर्घटना एवं अपंगता लाभ सुरक्षा के लिए किस्त प्रीमियम.

3. **बन्द पॉलिसियों का पुन: प्रवर्तन:** यदि पॉलिसी रियायत अवधि के भीतर बकाया प्रीमियम का भुगतान न होने के कारण कालातीत हो गई है, तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में, प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 2 क्रमागत वर्ष की अवधि के भीतर तथा परिपक्वता तिथि के पूर्व निगम को सतत बीमायोग्यता का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान के समय प्रचलित दर से छमाही चक्रवृध्दि ब्याज के साथ भुगतान करके पुन: प्रवर्तित कराया जा सकता है. तथापि, निगम बन्द पॉलिसियों के प्रवर्तन को मूल शर्तों पर स्वीकार या संशोधित दरों पर स्वीकार करने का अधिकार अपने पास

CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

1. **Proof of Age :** The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, however, that in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be prevailing at the time of claim, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

   Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

2. **Payment of Premiums:** A grace period of one month but not less than 30 days will be allowed for yearly, half-yearly, quarterly modes and 15 days for monthly mode of premium payment.

   If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

   If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the unpaid premium/s falling due before the next anniversary of the policy.

   If the policy has not lapsed and the claim is admitted in case of death under a Policy where the mode of payment of premium is other than yearly, unpaid premiums, if any, falling due before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

   The premium payable will be "total instalment premium" which includes
   (i) Instalment premium for Basic Plan and
   (ii) Instalment premium for LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider, if LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider option has been exercised.

3. **Revival of Discontinued Policies:** If the Policy has lapsed due to non payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the lifetime of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium and before the date of maturity, on submission of proof of continued insurability to the satisfaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest (compounding half-yearly) at such rate as fixed by the Corporation from time to time. The Corporation,

4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

   शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है। आगे शर्त यह है कि महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

   स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी को सिर्फ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सम्मत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

   Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

   Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

   Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

9. ऋण : पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, जो निम्नांकित नियमों व शर्तों तथा ऐसे आगामी नियमों व शर्तों के अधीन होगा, जो निगम समय–समय पर तय कर सकता है, तथा जो ऐसी राशि के लिए पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर होगा.

(i) लिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी पूर्णतः निगम के नाम पर समनुदेशित की जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी.

(ii) निगम को ऋण पर ब्याज का भुगतान संबंधित ऋण स्वीकृत करते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा. ब्याज का प्रथम भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ या छः माह पूर्व आने वाली तिथि, इनमें जो भी संबंधित ऋण देने के तत्काल बाद आए, पर किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही आधार पर किया जाएगा. ब्याज कम से कम छः माह के लिए लिया जाएगा.

(iii) निगम तीन माह की पूर्व सूचना देकर समस्त ब्याज सहित ऋण राशि की अदायगी की मांग करने के लिए अधिकृत होगा. आवश्यकता होने पर ऋण की अदायगी न हो पाने की दशा में या वहाँ उपरोक्त नियत तिथियों पर या क्रमशः प्रत्येक नियत तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर ब्याज की अदायगी न कर पाने की दशा में, निगम द्वारा पॉलिसी को, कोई सूचना दिए जाने की आवश्यकता के बगैर बंद कर दिया जाएगा और निगम ऋण व ब्याज के भुगतान में पॉलिसी के संबंध में अनुन्मोचियोग्य अभ्यर्पण मूल्य लेकर कटौती करने का अधिकारी होगा.

यद्यपि पूर्णतः चुकता या चालू पॉलिसियों के मामले में उन्हें बंद करने की कार्यवाही लागू नहीं होगी.

(iv) यदि पॉलिसी उत्तरजीवित लाभों के लिए देय होती है या परिपक्व होती है या मृत्यु के कारण दावा बन जाती है, तो निगम पॉलिसी राशियों से ऋण की राशि या उसका कोई भी बकाया भाग सम्पूर्ण ब्याज के साथ काटने के लिए हकदार बन जाता है.

10. समनुदेशन और नामांकन :

अ) समनुदेशन : इस प्लान के अंतर्गत बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38 की वर्तमान लागू व्यवस्थाएं इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट – III में समाविष्ट हैं।

समनुदेशन की सूचना निगम के जिस कार्यालय से पॉलिसी सेवा दी जा रही है, वहाँ पर पंजीकरण के हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ब) नामांकन : समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी धारक को नामांकन करना आवश्यक है। धारा 39 की वर्तमान लागू व्यवस्थाएं इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट – IV में समाविष्ट हैं।

नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम के जिस कार्यालय से पॉलिसी सेवा दी जा रही है, वहाँ पर पंजीकरण के हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए। नामांकन का पंजीकरण करने पर निगम कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा या उसकी वैधता या वैधानिक परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

11. एलआईसी का दुर्घटनाजन्य मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ राइडर: इस पॉलिसी के उद्देश्य से एक दुर्घटना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : **"एक दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित एवं अस्वैच्छिक रूप से होने वाली घटना है, जो बाह्य, हिंसक एवं दिखाई देने योग्य साधनों से हो"**

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर एलआईसी का दुर्घटनाजन्य मृत्यु और अपंगता हितलाभ उपलब्ध है। अवयस्कों के जीवन पर बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के समय पर इस पॉलिसी के तहत हितलाभ उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन आयु के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह राइडर विवेक अनुरोध तथा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर निगम के नियमों के अनुसार पात्र पाये जाने पर उपलब्ध हो सकता है।

उपरोक्त के अधीन, सक्रिय पॉलिसी के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर प्रीमियम भुगतान की अवधि के दौरान कभी भी चुना जा सकता है। जब पॉलिसी के तहत इस राइडर को चुना जाएगा, इसकी सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगी, बशर्ते कि दुर्घटना की तिथि के समय पॉलिसी सम्पूर्ण बीमित राशि के लिए सक्रिय हो।

पॉलिसी के तहत सभी प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद इस राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ उसी जीवन पर, जिस पर अग्रांकित लाभ लागू होते हैं, वैयक्तिक पॉलिसियों और साथ ही समूह पॉलिसियों के अंतर्गत ली गई सभी पॉलिसियों, जिनमें पहले से ही दुर्घटना हितलाभ वाली पॉलिसियाँ शामिल हैं, के अंतर्गत बीमा की अधिकतम समेकित सीमा किसी भी दशा में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के रु. 100 लाख से अधिक नहीं होगी. अगर इसमें एक से अधिक पॉलिसियाँ हैं और अगर कुल दुर्घटना हितलाभ रु. 100 लाख से अधिक होता है, तो जारी पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 100 लाख दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के लिए हितलाभ लागू होंगे.

यदि किसी भी समय, जब यह पॉलिसी पूर्ण बीमाकृत राशि के लिए चालू है, बीमित व्यक्ति किसी दुर्घटना से संबद्ध होता है, जहाँ ऐसी दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित एवं अस्वैच्छिक रूप से हो, जिसे एवं दिखाई देने योग्य साधनों से हो और ऐसी चोट अकेले, प्रत्यक्ष एवं अन्य समस्त कारणों से अलग होकर इसके होने के 180 दिनों के भीतर होगी, जिसके परिणामस्वरूप (क) स्थाई एवं संपूर्ण अपंगता हो, जैसा कि यहाँ परिभाषित किया गया है या (ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो और उसे निगम की संतुष्टि होने तक सिद्ध किया गया हो, तो निगम इन मामलों में सहमत होता है :

(क) बीमित व्यक्ति की अपंगता : (i) इस पॉलिसी के अंतर्गत 10 वर्षों में विस्तारित समान मासिक किस्तों में दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान. यदि 10 वर्षों की कथित अवधि की समाप्ति से पहले पॉलिसी मृत्यु या परिपक्वता के द्वार कोई दावा बनाती है, तो अपंगता लाभ किस्तें जो बकाया नहीं हुई हों, का भुगतान दावे के साथ किया जाएगा और (ii) दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि की सीमा तक पॉलिसी के अंतर्गत आदेय भावी प्रीमियमों (मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम सहित) के भुगतान की माफी. किसी अन्य राइडर के लिए, यदि उसे चुना गया है, प्रीमियम का भुगतान जारी रहेगा.

प्रीमियम के भुगतान की छूट से इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी विकल्प और इस खंड के (ख) में शामिल हितलाभ समाप्त हो जाएँगे, सिवाय उन बीमों के, यदि कोई हों, जो बीमित व्यक्ति की सभी मौजूदा पॉलिसियों के अंतर्गत कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि से अधिक हों और जो प्रीमियम के सतत भुगतान द्वारा चालू रखे गए हों.

यह आवश्यक है कि उपरोक्त अपंगता किसी दुर्घटना का परिणाम हो और पूर्ण व स्थाई हो. दुर्घटनाजन्य चोटें जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र हों और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के

9. Loans: Loan can be availed under this policy provided atleast three full years' premiums have been paid subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:

(i) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;

(ii) Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months;

(iii) Corporation shall be entitled to call for repayment of the Loan with all due interest by giving 3 month notice. In the event of failure to repay the Loan when required or to pay interest on the due dates as herein above mentioned or within 30 days after each due date respectively the policy shall be without the necessity of any notice being given, foreclosed by the Corporation and the Corporation shall be entitled to apply the surrender value allowable in respect of the policy in payment of the Loan and interest.

However, in case of inforce/fully paid-up policies foreclosure action shall not be applicable;

(iv) Incase the policy shall become due for survival benefits or mature or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest from the policy moneys.

10. Assignments and Nominations:

a) Assignments : Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-III of this policy document.
The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

b) Nominations : Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-IV of this policy document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

11. LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider : An Accident for the purpose of this policy is defined as **"An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."**

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider is available on payment of additional premium. This benefit will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured. However, this Rider will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request and payment of additional premium, if found eligible as per the underwriting rules of the Corporation.

Subject to stated above, under an inforce policy the Accidental Death and Disability Benefit Rider can be opted for at any time within the premium paying term. Wherever this rider has been opted for under the policy, the cover will be available during the policy term, provided the Policy is in force for the full Sum Assured as on date of accident.

The additional premium for this Rider will not be required to be paid after all premiums under this Policy have been paid.

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs.100 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is in force for the full Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in (a) either permanent and total disability, as hereinafter defined or (b) death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees in case of :

(a) Disability to the Life Assured: (i) pay additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured in equal monthly instalments spread over 10 years under this Policy. If the policy becomes a claim by the way of death or maturity before the expiry of the said period of 10 years, the disability benefit instalments which have not fallen due will be paid along with the claim and (ii) waive the payment of future premiums chargeable, if any, under the policy (including the premium under basic plan) to the extent of Accident Benefit Sum Assured. The premium for any other rider, if opted for, shall continue to be paid.

The waiver of premium shall extinguish all options under this policy and the benefits covered by (b) of this clause except as to such assurances, if any, as exceeds the total accident benefit sum assured under all the existing policies of the life assured and which may have been kept in force by continued payment of premiums.

The disability above referred to must be disability which is the result of an accident and must be total and permanent. Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the

7. उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनुदेशन के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या समनुदेशिति के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या समनुदेशिति, विनिमयों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है, और ऐसी पावती को बीमाकर्ता के विरूद्ध इस बात का निर्णायी साक्ष्य माना जाएगा कि उसे पावती में संबंधित नोटिस प्रेषितत प्राप्त हुआ है।

8. अंतरण या समनुदेशन के नियमों तथा शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या समनुदेशिति की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी दावितों तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या समनुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कार्रवाई की एक पार्टी बना सकता है।

स्पष्टीकरण – विवाद इसके कि जहां उप–धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता ही कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप–धारा (10) के अंतर्गत सक्षम है, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनुदेशित या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशित या अंतरिती माना जाएगा।

9. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समनुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधानों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।

10. किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस दशा में किया जा सकता है कि

अ. पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर समनुदेशित या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है, या

ब. बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा:

तथापि स्वार्त समनुदेशित पॉलिसी को अभ्यर्पण करने या पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नहीं होगा।

11. उप–धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायित्व आंकिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पात्र: समनुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

परिशिष्ट - IV

नामांकन– बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

1. जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा।शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

2. ऐसे विनहि नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निर्मित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के जरिए निगमित किया जाए, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वर्तव्यता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

3. बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत करार/आने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

4. धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा:

शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुनः समनुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जिसका कि पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो:

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिती या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से किए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णतः हो या अंशतः, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित का हित होगा:

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, यह नामांकन समनुदेशिति द्वारा पुनः समनुदेशन या अंतरितिद्वारा किए गए भुगतान पर विवाद बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः अंतरण से स्वतः पुनः प्रचालित हो जाएगा।

5. जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgment of the receipt of such notice; and any such acknowledgment shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

(8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

(9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.

(10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that-

a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or

b. The insured surviving the term of the policy , shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

(11) In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

Annexure-IV

Nomination - As per Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

(2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

(3) The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

(4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

(5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

6. जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।

7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उत्तर-धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।

8. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मूलधनले नामित या नामितों जैसे भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे।

9. उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।

10. उप-धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।

11. जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।

12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6, विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो।

शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसके पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अधिपत्रण रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

परिशिष्ट - V

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार

1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अथवा पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्जीवन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।

2. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्जीवन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर वह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण - I : इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, "धोखेधड़ी" का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

(अ) सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है,

(ब) बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

(स) धोखेधड़ी के इरादे से उत्पन्न गया कोई अन्य कदम; तथा

(द) कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

स्पष्टीकरण - II : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या वांछित गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा।

(6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

(7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

(8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person on whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

(10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

(11) Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.

(12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied;

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure- V

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance or from the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

(2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

(b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

(c) any other act fitted to deceive; and

(d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

सुरक्षित रखता है. बन्द पॉलिसी का पुन: प्रवर्तन तभी प्रभावी होगा जब नियम द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जायेगा तथा विशिष्ट रूप से प्रस्ताव/बीमित व्यक्ति को सूचित कर दिया जायेगा.

राइडर(रों) का पुन: प्रवर्तन, यदि इसका चयन किया गया है, तो उसका मूल पॉलिसी के पुन: प्रवर्तन के साथ ही विचार किया जायेगा, अलग से नहीं.

4. जल्दी से सुरक्षा संबंधी नियम: अगर इस पॉलिसी के संबंध में तीन वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी आगामी प्रीमियम का नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत समस्त लाभ प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से नियमत अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा.

लेकिन यदि कम से कम तीन पूरे वर्षों का प्रीमियम भरा गया हो और इसके बाद में प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया गया हो तो यह पॉलिसी पूरी तरह से निरस्त नहीं होगी, लेकिन प्रदत्त पॉलिसी के रूप में चालू रहेगी. पॉलिसी के तहत मूल बीमा राशि को प्रदत्त बीमा राशि कहीं जानेवाली राशि तक घटाया जाएगा जो [(भुगतान किये गए प्रीमियमों की संख्या / कुल देय प्रीमियमों की संख्या) X मूल बीमित राशि] से इस पॉलिसी के तहत अब तक भुगतान किये गए कुल उत्तरजीवित लाभों को घटाकर होगी।

ऐसी पुकारी पॉलिसी तत्पश्चात किश्त भुगतान दायित्व से मुक्त होगी किन्तु बन्द हो जाने की तिथि से लाभों में भागीदार न होगी। यदि कोई सामान्य प्रत्यावर्तित बोनस अर्जित हुआ है तो वह घटे बीमाधन की प्रदत्त पॉलिसी से जुड़ा रहेगा।

पूर्ण रूप से चालू पॉलिसी के उपलब्ध हितलाभों के बावजूद, घटे बीमाधन की प्रदत्त पॉलिसी के बारे में कोई उत्तरजीविता हितलाभ देय नहीं रहेंगे तथा केवल पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर अथवा बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, जो भी पहले हो, निहित सामान्य प्रत्यावर्तित बोनस, यदि हो तो, के साथ प्रदत्त मूल्य एक मुश्त में देय रहेगा।

उपरोक्त कथन के बावजूद, यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किए जाने के बाद, किसी अनुकूलीं प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की नियत तिथि से 6 माह के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित काटकर मूल बीमाकृत राशि के 125% का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (क) मूल बीमा पॉलिसी के तहत अदत्त प्रीमियम मूल्य दिनांक तक ब्याज सहित उन्हीं शर्तों पर जैसे कि उस समय पॉलिसी में पुन:प्रवर्तन हेतु किया जाता. (ख) मूल पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पूर्व अदत्त प्रीमियम का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे की पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू रही हो.

उपरोक्त कथन के बावजूद, यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पांच पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किए जाने के बाद, किसी अनुकूलीं प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की नियत तिथि से 12 माह के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित काटकर मूल बीमाकृत राशि के 125% का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (क) मूल बीमा पॉलिसी के तहत अदत्त प्रीमियम मूल्य दिनांक तक ब्याज सहित उन्हीं शर्तों पर जैसे कि उस समय पॉलिसी में पुन:प्रवर्तन हेतु किया जाता. (ख) मूल पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पूर्व अदत्त प्रीमियम का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे की पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू रही हो.

ये प्रावधान वैकल्पिक राइडरों के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रदत्त मूल्य नहीं होता है और राइडर लाभ स्थगित हो जाते हैं, यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में है.

5. कर: कर सेवाकर सहित, यदि कोई हो, कर कानून के अनुसार होगा और कर की दर प्रचलित दर पर लागू होगी.

प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि पॉलिसी धारक द्वारा प्रीमियमों पर देय होगी, जिनमें अतिरिक्त प्रीमियमों एवं राइडर प्रीमियमों शामिल हैं, यदि कोई हो. प्रदाय कर की राशि पर योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

6. विशेष परिस्थितियों में जब्ती: यदि प्रीमियमों का भुगतान नियम अनुसार नहीं किया जाता है या इसमें समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्विक जानकारी छिपाई गयी है तो ऐसे प्रत्येक मामले में यह पॉलिसी अवैध हो जाएगी तथा इस पॉलिसी के संदर्भ में कोई लाभ के सभी दावे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की समय-समय पर संशोधित तथा लागू हो सकनेवाली व्यवस्थाओं के अधीन होंगे।

7. आत्महत्या: यह पॉलिसी अवैध हो जाएगी

i) यदि बीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रदत्त प्रीमियमों के 80% को छोड़कर, जिसमें कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम, यदि कोई है, शामिल नहीं है, बशर्तेकि पॉलिसी चालू अवस्था में हो.

ii) यदि बीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ) पुन:प्रवर्तन की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त प्रीमियमों के 80% (कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम, यदि कोई है, को छोड़कर) का अभ्यर्पण मूल्य, जो भी राशि अधिक हो, देय होगी. निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. अभ्यर्पण मूल्य: कम से कम तीन पूर्ण वर्षों तक प्रीमियमों को भुगतान किए जाने के बाद किसी भी समय इस पॉलिसी को नकदी के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है.

गारंटी युक्त अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान किये गये प्रीमियमों (कर के निवल) तथा अतिरिक्त प्रीमियमों और राइडर प्रीमियमों, यदि हो तो, को छोड़कर पहले भुगतान किये उत्तरजीवित लाभों को घटा कर जितना होगा, उसके प्रतिशत में होगा। यह प्रतिशत पॉलिसी की अवधि तथा पॉलिसी अभ्यर्पण करने के वर्ष पर आधारित होगा, जो इस दस्तावेज के परिशिष्ट I में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, निहित सामान्य प्रत्यावर्तित बोनस, यदि हो तो, का अभ्यर्पण मूल्य भी देय होगा, जो निहित बोनस की संख्या का निहित बोनसों के अभ्यर्पण घटक का गुणक होगा। यह घटक पॉलिसी अभ्यर्पण करने के वर्ष पर आधारित होगा, जो इस दस्तावेज के परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

लेकिन इस पॉलिसी के तहत विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक को अधिक हितकर हो। यह विशेष अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई बीमित राशि (जैसे शर्त 4 में परिभाषित है) और निहित सामान्य प्रत्यावर्तित बोनसों का छठ्ठाया मूल्य होगा। इस पॉलिसी पर लागू ये घटाये हुए घटक समय-समय पर आईआरडीएआई के पूर्व-स्वीकृती पर बदले जा सकते हैं।

राइडरों पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा, यदि कोई है.

however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Life Assured.

Revival of Rider(s), if opted for, will only be considered along with the revival of the Basic policy and not in isolation.

4. Non-forfeiture Regulations: If less than three years' premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable.

However, if after at least three full years' premium have been paid in respect of this policy and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy. The Basic Sum Assured under the policy shall be reduced to such a sum, called Paid-up Sum Assured and shall be equal to [(Number of premiums paid / Total Number of premiums payable) x Basic Sum Assured] less total amount of survival benefits already paid under the policy.

The policy so reduced shall thereafter be free from all liabilities for payment of the within mentioned premiums, but shall not be entitled to participate in future profits. However, the vested Simple Reversionary Bonuses shall remain attached to the reduced paid up policy.

Notwithstanding the benefits available under a fully in force policy, in the case of a reduced paid up policy, no survival benefits shall be payable and the paid up value along with the vested Simple Reversionary Bonuses, if any, shall be payable only in lump-sum on the expiry of policy term or death of life assured, if earlier.

Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the death of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, 125% of Basic Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any, will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary.

Notwithstanding what is stated above, if at least five full years' premiums have been paid in respect of this policy, any subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the due date of first unpaid premium, 125% of Basic Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any, will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary.

These provisions do not apply to optional riders as they do not acquire any paid up value and the rider benefits cease to apply, if policy is in lapsed condition.

5. Tax: Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on premiums including extra premiums and rider premiums, if any. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

6. Forfeiture in Certain Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.

7. Suicide: This policy shall be void

i) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, the Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 80% of the premiums paid excluding any taxes, extra premium and rider premiums, if any, provided the policy is inforce.

ii) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the premiums paid till the date of death (excluding any taxes, extra premium and rider premiums, if any) or the surrender value, shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy.

8. Surrender Value: The policy can be surrendered for cash at any time during the policy term after atleast three full years' premiums have been paid.

The Guaranteed Surrender Value shall be a percentage of total premiums paid (net of tax) excluding any extra premiums and premiums for riders, if opted for less any survival benefits already paid. This percentage will depend on the policy year in which the policy is surrendered and is enclosed as Annexure I to this document.

In addition, the surrender value of vested Simple Reversionary Bonuses, if any, shall also be payable, which is equal to vested bonuses multiplied by the Surrender Value factor applicable to vested bonuses. These factors will depend on the policy year in which policy is surrendered and is enclosed as Annexure II to this document

However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favourable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of the sum of Paid-up Sum Assured (as defined in Condition 4) and vested simple reversionary bonuses. These discounting factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDAI.

No surrender value will be available on Riders, if any.

संदर्भ में मूल्यांकित अतिरिक्त राइडर प्रीमियम निम्नानुसार लौटाया जाएगा:

प्रीमियम भरने की अवधि के दौरान : 80% * (दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि का प्रति रु.1000 वार्षिक राइडर प्रीमियम – 1)* (दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि/1000)* (इस राइडर से संदर्भित वर्षों की संख्या जिनके लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो)

प्रीमियम भरने की अवधि के बाद : 80% * (दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि का प्रति रु.1000 वार्षिक राइडर प्रीमियम – 1)* (दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि/1000)* (राइडर की प्रीमियम देय अवधि)* (राइडर की बाकी अवधि पूर्ण वर्षों मे /(इस राइडर से संदर्भित पॉलिसी अवधि – राइडर की प्रीमियम देय अवधि))

जहाँ वार्षिक राइडर प्रीमियम कर छोड़कर है.

12. **निगम के लाभ में प्रतिभागिता:** बशर्ते कि पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू हो, तो निगम के अनुभव के आधार पर यह पॉलिसी लाभ में भागीदारी करेगी और यह पॉलिसी उस दर पर एवं उन शर्तों पर एक सरल प्रत्यावर्तित बोनस के योग्य होगी, जो निगम द्वारा घोषित की जा सकती हैं.

सरल प्रत्यावर्तित बोनसों को प्रत्येक वित्तवर्ष के अंत में वार्षिक रूप से घोषित किया जाएगा, बशर्तेपॉलिसी पूर्ण रूप से चालू हो. एक बार घोषित कर दिए जाने के बाद, वे योजना के गारंटीड लाभों का हिस्सा बन जाते हैं. सरल प्रत्यावर्तित बोनस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि से चुनी गई पॉलिसी अवधि तक या मृत्यु तक, यदि यह पहले होती है, शामिल किए जाएँगे.

किसी चुकता पॉलिसी की दशा में निहित बोनसों का भुगतान केवल तभी किया जाएगा, जब कम से कम 3 पूर्ण पॉलिसी वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो. प्रीमियमों का भुगतान निम्नानुसार न किए जाने की दशा में, लाभों में पॉलिसी की प्रतिभागिता स्थगित हो जाएगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य (कम की गई मूल बीमाकृत राशि) प्राप्त किया हो या न किया हो.

पॉलिसी का अभ्यर्पण हो जाने पर निहित बोनसों का नकद मूल्य, यदि हो तो, जो अभ्यर्पण की तिथि पर लागू हो, वह उपर लिखी शर्त संख्या 8 के अनुसार देय होगा।

योजना के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी घोषित किए जा सकते हैं, जब पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी मृत्यु दावे में परिणित हो जाए या परिपक्वता लाभ भुगतान के लिए बकाया हो जाए, बशर्ते पॉलिसी कुछ न्यूनतम अवधि के लिए चालू रही हो.

अंतिम (अतिरिक्त) बोनस कम की गई चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत देय नहीं होगा.

13. **दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:** पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय साधारण दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्थानिक का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, दुर्घटना/अपंगता का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार, निदोकता का प्रमाणपत्र, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

जहाँ पॉलिसी पूर्णावधि दावे में परिवर्तित होती है या पॉलिसी के अभ्यर्पण की दशा में, बीमित व्यक्ति द्वारा आयु प्रमाण–पत्र, अगर आयु पहले स्वीकृत नहीं हुई है, के साथ विमुक्ति पत्र और मूल पॉलिसी प्रलेख, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता की ओर से NEFT आदेश पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.

जहाँ पॉलिसी किसी दुर्घटनावश अपंगता/मृत्यु दावे में परिवर्तित हो, निम्नांकित सूची से लागू, वक्तव्य उन परिस्थितियों की जांच के लिए बुलाए जा सकते हैं, जिनमें मृत्यु/अपंगता हुई है :

1. प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) की एक प्रमाणित प्रति.
2. पुलिस अनुसंधान प्रतिवेदन की एक प्रमाणित प्रति.
3. पंचनामे की प्रति.
4. मृत्यु के संभावित कारण को जानने के लिए पोस्ट मार्टम रिपोर्ट. अगर पोस्ट मार्टम में आँतों को संरक्षित किया गया हो, तो उसकी विषय–वस्तुओं को जानने के लिए रासायनिक विश्लेषक प्रतिवेदन, कि बीमित व्यक्ति ने शराब, नशीली दवाओं, नारकोटिक्स या जहर का सेवन तो नहीं किया था.
5. समाचार पत्र की कतरन जहाँ दुर्घटना प्रतिवेदित हुई हो.
6. अगर मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण हुई है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, यदि वाहन बीमित व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था.
7. मृत्यु के बारे में सब–डिविज़नल मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय – इससे मृत्यु का वर्गीकरण 'स्वाभाविक/आत्महत्या/ दुर्घटनावश' के रूप में होगा.
8. अगर दुर्घटना को पुलिस प्राधिकारियों को प्रतिवेदित नहीं किया गया है, जैसे कुत्ता या साँप काटने से मृत्यु, तो वैकल्पिक साक्ष्य, जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का वक्तव्य, ग्रामसेवक या शासकीय अधिकारियों का शपथ–पत्र, हमारा अपना पूछताछ प्रतिवेदन, इलाज करने वाले चिकित्सक या अस्पताल के प्रतिवेदन आदि पर्याप्त हो सकते हैं.
9. अस्पताल उपचार अभिलेख, आदि.

14. **वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों सहित नियम और शर्तें संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय हैं.

15. **कूलिंग–ऑफ अवधि:** यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं होता, तो उसके पास पॉलिसी प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति का कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी लौटाने का अधिकार होगा। यह प्राप्त हो जाने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा और जमा की हुई प्रीमियम की राशि से जोखिम प्रीमियम (प्राथमिक योजना के लिए और दुर्घटना हितलाभ संरक्षा, यदि हो तो) तथा वैद्यकीय परीक्षा शुल्क, विशेष प्रतिवेदन, यदि हो तो, और स्टैम्प ड्यूटी काटकर लौटा देगा।

16. **लाभ चित्रण:** मानक जीवन पूर्वधारणा पर आधारित आपका अनुकूलित लाभ चित्रण इस प्रलेख के साथ संलग्न है.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 :

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की व्यवस्थाएं समय–समय पर संशोधन के अनुसार लागू हो जाएंगी। वर्तमान व्यवस्थाएं इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट–V में समाविष्ट हैं।

value, additional rider premium charged in respect of cover after premium paying term shall be refunded as follows:

During Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured – 1) * (Accident Benefit Sum Assured/1000) * (Number of years for which premiums in respect of this rider have been paid)

After Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured – 1) * (Accident Benefit Sum Assured/ 1000) * (Premium paying term for the rider) * (outstanding term for the rider in complete years / (Policy term in respect of this rider – Premium paying term for the rider))

Where annualised rider premium mentioned above excludes tax.

12. **Participation in the Profits of the Corporation:** Provided the policy is in full force, depending upon the Corporation's experience the policy shall participate in profits and this policy will be eligible for a Simple Reversionary Bonus at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the end of each financial year provided the policy is in full force. Once declared, they form part of the guaranteed benefits of the plan. Simple Reversionary Bonuses will be added from the date of commencement of policy until the selected policy term or till death, if it occurs earlier.

In case of a paid up policy vested bonuses shall be payable only if at least 3 full years' premiums have been paid. In case the premiums are not duly paid, the policy shall cease to participate in profits irrespective of whether or not the policy has acquired paid up value (reduced Basic Sum Assured)

In the event of policy being surrendered, the Surrender Value of vested bonuses, if any, as applicable on the date of surrender, will be payable as specified in condition No. 8 above.

Final (Additional) Bonus may also be declared under the policy in the year when the policy results into a claim either by death or maturity, provided the policy has run for certain minimum term.

Final (Additional) Bonus shall not be payable under reduced paid-up policies.

13. **Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, proof of accident/ disability, medical treatment prior to the death, employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of a policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

Where policy results into a accidental disability/death claim the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death / disability took place:-

1) A certified copy of first information report (FIR).
2) A certified copy of police inquest report.
3) Copy of panchanama.
4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
5) News paper cuttings where accident is reported.
6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
7) Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'
8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.
9) Hospital treatment records, etc.

14. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

15. **Cooling-off Period:** If the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, he/she may return the policy to the Corporation within 15 days from the date of receipt of the policy stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for basic plan and rider(s), if any) for the period on cover and charges for medical examination, special reports, if any and stamp duty.

16. **Benefit Illustration:** Your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.

Section 45 of Insurance Act, 1938 :

The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-V of this policy document.

शिकायत निराकरण रचना

ग्राहकों की शिकायतों का निराकरण करने हेतु निगम ने शाखा / विभाग / मण्डल / केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर शिकायत निराकरण अधिकारी की नियुक्ति की है। ग्राहकों की शिकायतों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाईट) http://www.licindia.in, के माध्यम से ग्राहक संचालन योग्य एकात्मिक शिकायत व्यवस्थापन प्रणाली प्रस्तुत की है, जहाँ पर पंजीकृत पॉलिसी धारक अपना असन्तोष / शिकायत प्रत्यक्ष दर्ज कर सकते हैं, तथा उसकी स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के हेतु ग्राहक co_crmgrv@licindia.com इस ई–मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।

यदि ग्राहक मिले जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या हमसे 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं पाता है, तो वह ग्राहक आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष से किसी भी निम्नलिखित मार्ग से संपर्क कर सकते हैं।

- टोल फ्री संख्या 155255/ 18004254732 (यानि आईआरडीएआई शिकायत कक्ष केंद्र) पर कॉल कर के
- complaints@irda.gov.in पर ई–मेल भेज कर
- http://www.igms.irda.gov.in पर शिकायत दर्ज कर के
- ग्राहक मामला विभाग, भारतीय बीमा नियंत्रण तथा विकास प्राधिकरण, 9 वीं मंजिल, युनाईटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद – 500029, आंध्र प्रदेश के पते पर शिकायत पत्रद्वारा / कुरियर द्वारा भेज कर।
- 040-66789768 पर अपनी शिकायत फैक्स पर भेजे ।

मृत्यु दावा परित्याग के निर्णय से असन्तुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों का पुनःरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निराकरण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निराकरण समिति के पास भेजने का विकल्प उपलब्ध है। उच्च न्यायालय / जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिश प्रत्येक दावा विवाद निराकरण समिति के सदस्य रहेंगे। दावों के संदर्भ मे शिकायतों के निराकरण हेतु दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम खर्चिला तथा जल्द मध्यस्थ निर्णय देने का प्रबन्ध करते है।

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter : Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500029, Andhra Pradesh.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

परिशिष्ट - I / ANNEXURE - I

कुल प्रदत्त प्रीमियम के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premiums paid	
पॉलिसी अवधि Policy Year	घटक (प्रतिशत में) Factors (in percentage)
1	0
2	0
3	30.00
4	50.00
5	50.00
6	50.00
7	50.00
8	51.76
9	53.53
10	55.29
11	57.06
12	58.82
13	60.59
14	62.35
15	64.12
16	65.88
17	67.65
18	69.41
19	71.18
20	72.94
21	74.71
22	76.47
23	78.24
24	80.00
25	80.00

परिशिष्ट - II / ANNEXURE - II

निहित बोनसों के लिए लागू अभ्यर्पण मूल्य कारक Surrender Value Factors applicable to vested bonuses	
पॉलिसी अवधि Policy Year	घटक (प्रतिशत में) Factors (in percentage)
1	0.00
2	0.00
3	15.28
4	15.42
5	15.55
6	15.72
7	15.93
8	16.22
9	16.58
10	17.03
11	17.58
12	17.58
13	17.66
14	17.85
15	18.16
16	18.60
17	19.18
18	19.93
19	20.85
20	21.99
21	23.38
22	25.05
23	27.06
24	30.00
25	35.00

परिशिष्ट - III

समनुदेशन–बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

1. बीमा पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्णतः या अंशतः प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंडोर्समेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समनुदेशक या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या अभ्यर्पण के तथ्य और कारण, समनुदेशित के पूर्वाधार और समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख करते हुए।
2. बीमाकर्ता उप–धारा (1) के अंर्तगत बिए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्तन नहीं है।
3. बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।
4. बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।
5. उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंडोर्समेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहां जहां अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरूद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरिती या समनुदेशिति या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन पर लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इंडोर्समेन्ट की प्रति, जिसे जब तक कि अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।

बशर्ते जहां बीमाकर्ता के पास्त में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।

6. जिस तिथि को उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को निर्धारित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनुदेशन के एक से अधिक इंडोर्समेन्ट हों वहां ऐसे इंडोर्समेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमे उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द किए गए हैं।

समनुदेशितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

Annexure - III

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically settling forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

(2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.

(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.

(4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.

(5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

भीतर होने के फलस्वरूप ऐसी अपंगता स्थिति हो जिसके कारण बीमित व्यक्ति यांत्रीकीय उपकरण, विशेष डिवाइसों या अन्य साधनों सहित किसी बाह्य सहायता/सहारे के बगैर दैनिक जीवन की निम्नांकित गतिविधियों में से कम से कम 4 (चार) गतिविधियाँ (नीचे परिभाषित) स्थाई रूप से करने में असमर्थ हो, तो ऐसी अपंगता को संपूर्ण एवं स्थाई के रूप में माना जाएगा. निगम द्वारा अधिकृत चिकित्सकीय परीक्षक द्वारा संपूर्ण एवं स्थाई के रूप में अपंगता को स्पष्ट करने के लिए बीमित व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा.

दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं :

- कपड़े पहनना – सभी आवश्यक कपड़े, कृत्रिम हाथ–पैर या अन्य शल्य–चिकित्सकीय उपकरण, जो चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हों, को धारण करने या उतारने की क्षमता.
- धोना – साफ–सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का एक पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए धोने की क्षमता.
- खाना – भोजन के तैयार व उपलब्ध हो जाने के बाद किसी प्लेट या कटोरे से मुँह तक भोजन स्थानांतरित करने की क्षमता.
- शौच – शौचालय का उपयोग करने या अन्यथा मल एवं मूत्र प्रकार्यों के प्रबंधन की क्षमता ताकि व्यक्तिगत स्वच्छता के एक संतोषप्रद स्तर को बनाए रखा जा सके.
- गतिशीलता – घर के भीतर निवास के सामान्य स्थान पर समतल स्तह पर एक कमरे से दूसरे कमरे में आने–जाने की क्षमता.
- स्थानांतरण – किसी बिस्तर से उठकर किसी सीधी कुर्सी या व्हील चेयर पर बैठने या इसके विपरीत करने की क्षमता.

दुर्घटनावश चोटें जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र हो और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के भीतर हो, जिसके फलस्वरूप दोनों आँखों की संपूर्ण दृष्टि या बोलने की या सुनने की क्षति हो जाए या एक/दोनों हाथ/हाथों का अंगच्छेदन कलाई से या उससे ऊपर से हो जाए या एक/दोनों पैर/पैरों का अंगच्छेदन टखनों पर या उससे ऊपर हो जाए, या किन्हीं प्रमुख अंगों या उनकी प्रकार्यता की क्षति हो जाए, उसे भी ऐसी अपंगता होना माना जाएगा.

अपंगता के तत्काल बाद उसका पूरा ब्यौरा और बीमित व्यक्ति का तत्कालीन पता और ठिकाना लिखित रूप में निगम के उस कार्यालय को दे दिया जाए जहाँ से इस पॉलिसी को सेवा उपलब्ध करवाई जाती है और अपंगता होने के 90 दिन के भीतर अपंगता का संतोषजनक प्रमाण निगम के सेवा कार्यालय द्वारा अपेक्षित विधि से उसे दे दिया जाए, जिसका कोई व्यय निगम वहन नहीं करेगा और जब कभी निगम माँगे, अपंगता जारी रहने का ऐसा प्रमाण दिया जाए. किसी भी अपंगता दावे के संबंध में सूचना मिलने के बाद निगम द्वारा अधिकृत चिकित्सकीय परीक्षक द्वारा बीमित व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा और उसे प्रमाणित किया जाएगा. इसके अलावा, यदि आवश्यकता हो तो अलग–अलग मामलों के आधार पर अपंगता के जारी रहने के सत्यापन के लिए चिकित्सकीय परीक्षण फिर से सकते हैं.

किसी भी समय यह पाए जाने की दशा में, कि इस खंड के अंतर्गत कोई दावा गलती से स्वीकार कर लिया गया है, निगम की इस आशय की सूचना की तिथि के बाद देय होने वाली सभी तिथियों का भुगतान किया जाएगा और आगामी सभी प्रीमियम जिनके लिए छूट का दावा गलत तरीके से किया गया था और अतिरिक्त बीमाकृत राशि की सभी किस्तें जो बीमित व्यक्ति को भुगतान की गई हैं, निगम को ब्याज सहित एकमुश्त राशि के रूप में उस दर पर लौटाई जाएँगी, जो निगम द्वारा समय–समय पर तय की जाएँ, जैसे कि कोई अपंगता नहीं हुई है, ऐसा न करने पर

(i) इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध लाभ उसी प्रकार से कम हो जाएँगे, जैसे पॉलिसी उस तिथि पर बंद हुई है, जब से प्रीमियमों को माफ किया गया है या जिस पर अतिरिक्त बीमाकृत राशि की पहली किस्त का भुगतान हुआ है, जो भी पहले हो, और

(ii) पहले ही भुगतान की जा चुकी अतिरिक्त बीमाकृत राशि की किस्तों को कथित पॉलिसी पर एक ऋण के रूप में लिया जाएगा और पॉलिसी की शर्तों से भुगतान के समय पर निगम द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित काटा जाएगा.

अतिरिक्त बीमाकृत राशि की कोई आगामी किस्त/तें देय नहीं होंगी जिन्हें इस तरह समझा जाएगा कि कोई अपंगता नहीं हुई है.

(ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में: इस पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि देय होगी. यद्यपि पॉलिसी की दुर्घटना के समय पर प्रभावशील होना चाहिए, चाहे वह मृत्यु के समय पर प्रभावशील हो या न हो.

निम्न (क) या (ख) में संदर्भित अतिरिक्त राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि बीमित व्यक्ति की अपंगता या मृत्यु :

(I) जानबूझ कर अपने को चोट पहुंचाने, आत्महत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अतिशय आवेश के कारण अथवा किसी मादक द्रव पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तुओं (जब तक उपचार के एक भाग के रूप में चिकित्सक द्वारा इसे लिखा न गया हो) की सेवन करने से होगी, अथवा

(ii) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युध्द (भले ही युध्द की घोषणा की गई हो या न की गई हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, लंबी छलांग या किसी भी प्रकार की भागदौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग, रोमांचक खेलों में भाग लेना के फलस्वरूप चोट लगने के कारण होगी; अथवा

(iii) बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कोई आपराधिक कृत्य करने के परिणामस्वरूप हो; या

(iv) (अ) बीमित व्यक्ति के सशस्त्र सेना या सैन्य सेवा में नौकरी में होने के कारण हो. यह अपवर्जन तब लागू नहीं होगा, यदि बीमित व्यक्ति तब किसी दुर्घटना से संबद्ध था, जब वह ड्यूटी पर नहीं था या हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते समय किसी बचाव अभियान से संबद्ध था.

(ब) अर्द्धसैनिक बलों के अलावा किसी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में संबद्ध होने के फलस्वरूप हो (जिसमें प्रशासनिक कार्यभार शामिल नहीं हैं). यह अपवर्जन वहाँ लागू नहीं है, जहाँ पुलिस ड्यूटी में संबद्ध रहते हुए होने वाली दुर्घटना पर दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ के लिए विकल्प को चुना गया हो, या

(v) बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की तिथि से 180 दिनों के बाद होती.

मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण पर देय हितलाभ :

यह राइडर कोई प्रदत्त मूल्य अर्जित नहीं करता है तथा इस राइडर के तहत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

लेकिन, मूल पॉलिसी, जिसके साथ यह राइडर संलग्न है, का अभ्यर्पण करने से, बशर्ते की मूल प्लान तथा राइडर से संदर्भित सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और मूल पॉलिसी अभ्यर्पण मूल्य अर्जित करती हो, तो प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद की सुरक्षा के

happening of such accident result in such disability due to which life assured is not able to perform at least 4 (four) of the following Activities of Daily Living (defined below) permanently without any external help/support including the use of mechanical equipment, special devices or other aids, then such disability shall be treated as Total and Permanent. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the life assured to certify the disability as Total and Permanent.

The Activities of Daily Living are:

- Dressing - the ability to put on and take off all necessary garments, artificial limbs or other surgical appliances that are medically necessary
- Washing - the ability to wash to maintain an adequate level of cleanliness and personal hygiene
- Feeding - the ability to transfer food from a plate or bowl to the mouth once food has been prepared and made available
- Toileting - the ability to use the lavatory or otherwise manage bowel and bladder functions so as to maintain a satisfactory level of personal hygiene
- Mobility - the ability to move indoors from room to room on level surfaces at the normal place of residence
- Transferring - the ability to move from a bed to an upright chair or wheel chair and vice versa

Notwithstanding what is mentioned above, Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident, result in the irrecoverable loss of the entire sight of both eyes or in the amputation of both hands at or above the wrists or in the amputation of both feet at or above ankles, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall also be deemed to constitute such disability.

After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the Corporation where this Policy is serviced together with the then address and whereabouts of the Life Assured and within 90 days of the happening of the disability, must be given to the servicing Office of the Corporation, in the manner required by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further, medical examination may be done to validate the continuity of disability on case to case basis, if required.

In the event of it being discovered at any time that a claim under this clause has been wrongly admitted, all premiums falling due after the date of the Corporation's intimation to that effect shall be paid on due dates and further all premiums for which waiver was wrongly claimed and all instalments of additional sum assured which have been paid to the life assured shall be returned to the Corporation in one lump sum with interest, at such rate as fixed by the Corporation from time to time, as if no disability had occurred, failing which

(i) the benefits available under the policy shall stand reduced as if the policy has been discontinued as on the date from which premiums have been waived or on the payment of the first instalment of the additional sum assured, whichever is earlier and

(ii) the instalments of additional sum assured already paid shall be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time from the proceeds of the policy.

No further instalment/s of additional Accident Benefit Sum Assured shall be payable considering as if no disability had occurred.

(b) Death of the Life Assured: In addition to Basic Sum Assured, an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured shall be payable under this policy. However, the policy shall have to be in force at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

The Corporation shall not be liable to pay the additional sum referred in (a) or (b) above, if the disability or the death of the Life Assured shall:

(i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or

(ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or

(iii) result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or

(iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country

(b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or

(v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

Benefit payable on Surrender of Basic policy:

This rider shall not acquire any Paid-up Value and no Surrender Value will be available under this rider.

However, on surrender of the basic policy to which this rider is attached, provided all the due premiums in respect of this rider and basic plan have been paid and the basic policy has acquired surrender